न्यायालय ...गत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील 2023/137 लक्ष्मण बनाम सम्पतराज व.

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/137 श्री दीपक पारीक श्री	

लक्ष्मण बनाम सम्पतराज वगैरह (137 / 2023)

4.5.23

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 27.04.2023 को स्थगन प्रार्थना पत्रों पर सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक प्रार्थी / अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये पारित किया गया है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र पर धारा 212 का प्रार्थना पत्र केवल मात्र वाद के साथ ही प्रस्तुत किया जा सकता है इस प्रकार के अवैधानिक आदेश की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। माननीय न्यायालय से अनुरोध हैकि प्रार्थना पत्र में हुए विलम्ब को उपरोक्त कारणों से क्षमा किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जानें के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक प्रार्थी / अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र में अंकित देरी के कारण संतोषजनक है तथा सद्भाविक होने के कारण प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

तत्पश्चात स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा सन् 2020में खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता दिलवाने जाने हेतु धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा धारा 251 ए के तहत् किया गया आवेदन पत्र है और एक प्रार्थना पत्र के साथ धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना कतई पोषणीय नही है, क्योकि धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम केवल वाद के साथ प्रस्तुत किया जाता है ना कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज. काश्तकारी अधिनियम के साथ। रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नही था, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मसूदा ने विधिक स्थिति का अवलोकन किए बगैर स्थगन आदेश पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है। अपीलांट द्वारा सम्परिवर्तन कराने से पहले खसरा नम्बर 3765 / 3763 कायम कर मौके पर रास्ता मुर्तिब कर दिया है और खसरा नम्बर 3765 / 3763 का राजस्व रिकार्ड में भी रास्ते के रूप में अंकन करवा दिया गया है। इस प्रकार आज दिनांक को मौके पर रास्ता कायम है जो कि राजस्व नक्शा ट्रेस के अवलोकन से ही सिद्ध हो जाता है, फिर भी असल रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को नाजायज परेशान करने के लिए विधि विरूद्ध तरिके से धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया है जो अपीलांट के हितो के विपरीत होकर काबिल निरस्तनीय है। धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र सन् 2020 में ही प्रस्तुत कर दिया गया था जोकि विचाराधीन था ऐसे में तीन साल बाद 2023 को धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने से पहले अपीलांट को जवाब व सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

तारीख 2023/137 श्री

पेशी श्री

हुए ही आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि आज दिनांक को आवासीय भूमि में परिवर्तन हो चुकी है, जिस पर सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 9/2023 बाउनवानी सम्पतराज बनाम उदयसिंह में अंकित आराजी ग्राम हनुतीया स्थित खसरा नम्बर 3789/3766 रकबा 0.0243 किस्म आवासीय, खसरा नम्बर 3784/3766 रकबा 0.0020 किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 3764/1360 रकबा 0.1173 बारानी 2 बाबत् पारित आदेश दिनांक 25.01.2023 (25.01.2022)की पालना व प्रभाव ताफैसला अपील स्थगित फरमाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मसूदा के द्वारा दिनांक 25.01.2022 को प्रार्थना पत्र संख्या 9/2023 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 3889/3766 रकबा 0.0243 है0 एवं खसरा नम्बर 2784/3766 रकबा 0.0020 है0, खसरा नम्बर 3764/1360 रकबा 0.1173 है. वाकै ग्राम हनुतीया तहसील विजयनगर की आगामी पेशी तक अप्रार्थीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया गया था जिससे असंतुष्ट होकर अप्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अप्रार्थी/अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट द्वारा सन् 2020 में खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता दिलवाने जाने हेतु धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् किया गया आवेदन पत्र है जबकि आवेदन–पत्र को निर्धारित करने हेतु समय अवधि 90दिवस की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण समयावधि में करना चाहिए, जो उनके द्वारा नहीं किया गया तथा उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 2789/3766 रकबा 0.0243 है0 जो अप्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी की आराजी है जिसकी किस्म आवासीय है जिस बाबत् अप्रार्थी /अपीलांट को पाबंद किया गया है इसलिए प्रथम दृष्टया अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी/अपीलांट को ही होनी हैं।अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम सन् 2020 से विचाराधीन था जिसमें अप्रार्थी/अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बावजूद भी प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अपीलांट को सुने बिना ही आदेश पारित किये गये है, जबकि उनको सुनकर ही आदेश पारित किये जाने चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। प्रार्थना– पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं तथा अप्रार्थी/प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें एवं अप्रार्थी संख्या 01/प्रार्थी को भी पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एड़ी से प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
2023/137 श्री दीपक पारीक एड. श्री	

अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा (धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम) का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर इस आदेश की अवधि से 60 दिवस में निस्तारण करें । अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.05.2023 को उपस्थित होवें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner